भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2039

उत्तर देने की तारीखः 11.03.2025

बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

2039. श्री बैन्नी बेहननः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार युवाओं के, विशेषकर केरल जैसे राज्यों से बढ़ते प्रवासन के कारण पारिवारिक देखभाल के बिना रह जाने वाले वृद्धों की बढ़ती समस्या से अवगत है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में वृद्ध नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर इस प्रवृत्ति के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) क्या सरकार वृद्धों, विशेषकर अकेले रहने वाले या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वृद्धों लिए पर्याप्त वित्तीय, चिकित्सा और भावनात्मक सहायता सुनिश्चित करने के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू करने या मौजूदा कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किफायती वृद्ध देखभाल गृहों, डे-केयर केंद्रों या सामुदायिक सहायता प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए की गई किसी भी भी पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): केरल सरकार ने सूचित किया है कि केरल प्रवास सर्वेक्षण के अनुसार, 1998 के बाद से, से, शिक्षा और रोजगार के लिए राज्य की युवा आबादी का बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ है। यद्यपि, वर्तमान में राज्य में इसके संतुलन-स्वरूप अधिक संख्या में अंतःप्रवासन देखने को मिल रहा है, फिर भी मानव संसाधनों की कमी ने परिवारों में बुजुर्गों की देखभाल को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। घटती प्रजनन दर और बढ़ते प्रवास के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें वृद्ध जनसंख्या की बढ़ती हुई संख्या की देखभाल जरूरतों को पूरा करने के लिए देखभालकर्ताओं की आवश्यकता को बहुत अधिक महसूस किया जा रहा है।

(ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पहले से ही वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में 01.04.2021 से **अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)** नामक एक व्यापक योजना लागू कर रहा है। इस योजना के निम्नलिखित सात सात घटक हैं:

i. **एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)** - वरिष्ठ नागरिक गृहों सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

ii. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी)** - वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) के तहत, राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य कार्य योजना को लागू करती है। जागरूकता पैदा करने, संवेदनशीलता बढ़ाने, मोतियाबिंद सर्जरी और राज्य विशिष्ट गतिविधियों जैसी गतिविधियों गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

iii. **एल्डरलाइन: राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन (एनएचएससी)**- वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत निवारण और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अधिनियम, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 01.10.2021 को टोल फ्री नंबर 14567 पर राष्ट्रीय हेल्पलाइन अर्थात 'एल्डरलाइन' का शुभारंभ किया गया।

iv. **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)** - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)' के योजना घटक को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य 15000 रुपये से अनधिक मासिक आय वाले और आयु-संबंधी दिव्यांगता/दुर्बलता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे शारीरिक सहायक उपकरण और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करना है, जो उनके शारीरिक कार्यों को लगभग सामान्य स्थिति में ला सकें। यह योजना 01.04.2017 को शुरू की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में 'कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ)' (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के माध्यम से किया जाता है।

v. **सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई)** - एसएजीई योजना घटक का उद्देश्य आम तौर पर सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए अनोखे और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना है। इस योजना घटक के तहत, बुजुर्गों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को विकसित करने के लिए नवोन्मेषी स्टार्ट-अप की पहचान की जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। स्टार्ट-अप का चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और धनराशि इक्विटी के रूप में प्रदान की जाती है, बशर्ते सरकारी निवेश फर्म की कुल इक्विटी के 49% से अधिक न हो।

vi. **वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण-** इस योजना घटक का मुख्य उद्देश्य देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को पाटना है,

ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और जराचिकित्सा (वृद्धावस्था) के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके।

vii. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल:** स्वस्थ और उत्पादक वृद्धावस्था की समस्याओं को हल करने के लिए देश भर में कई पहलों को क्रियान्वित किया गया है।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में देश भर में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) क्रियान्वित करता है, जिसके अंतर्गत 60-79 वर्ष की आयु समूह के व्यक्तियों को 200 रुपए प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु समूह के व्यक्तियों को 500 रुपए प्रतिमाह की केन्द्रीय पेंशन प्रदान की जाती है। एनएसएपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को कम से कम केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के बराबर टॉप-अप राशि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि लाभार्थियों को उचित स्तर की सहायता मिल सके। वर्तमान में, राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र एनएसएपी की वृद्धावस्था योजना के तहत प्रति लाभार्थी 50 रुपये से लेकर 3000 रुपये प्रति माह तक की टॉप-अप राशि जोड़ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औसत मासिक पेंशन लगभग 1,000/- रुपए हो गई है। वर्तमान में, कवरेज/सहायता में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इसके अलावा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) का लक्ष्य भारत की आबादी के निचले 40% हिस्से में शामिल 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। 29 अक्टूबर, 2024 को, सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार लाभ प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार किया।

(घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) घटक के माध्यम से देश भर में 669 परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है। ये परियोजनाएं वरिष्ठ नागरिकों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती हैं, जिनमें 620 वरिष्ठ नागरिक गृह (वृद्धाश्रम), 13 सतत देखभाल गृह, 11 क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, 18 मोबाइल मेडिकेयर इकाइयां और 5 फिजियोथेरेपी क्लीनिक शामिल हैं।

*****